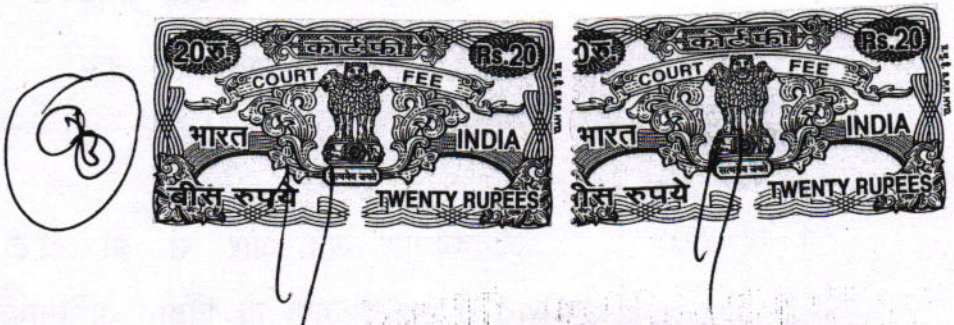

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

1— दिनेश पिता धन्नालाल जाति माली
2— महेश पिता धन्नालाल जाति माली
3— राजेश पिता धन्नालाल जाति माली
4— लक्ष्मीबाई पति धन्नालाल जाति माली
सभी निवासी— ग्राम नौगांव धार जिला धार (म.प्र.)
5— श्रीमती कंचनबाई पति वेणीबाई (पिता श्री धन्नालाल)
निवासी— ग्राम पिठोरा तह. बडनगर जिला उज्जैन (म.प्र.) ——— प्रार्थीगण

विरुद्ध

1— नंदराम पिता पन्नालाल जाति माली
2— कैलाशचंद्र पिता पन्नालाल जाति माली
3— सेवाराम पिता पन्नालाल जाति माली
4— सोमेश्वर पिता पन्नालाल जाति माली
5— श्रीमती कलाबाई पति पन्नालाल जाति माली
6— श्रीमती सुगनाबाई पति बाबुलाल जाति माली (पिता पन्नालाल)
निवासी— ग्राम नौगांव धार जिला धार (म.प्र.)
7— श्रीमती पार्वतीबाई पति गोपाल जाति माली (पिता पन्नालाल)
पता:- ग्राम बडनगर तह. बडनगर जिला उज्जैन ———प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 7/अ—27/13—14 में दिनांक 20—7—2015 को पारित आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :—

Rिव्यू/4 d 2/213

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

3663-

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3663–PBR/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	आवेदकगण की ओर से श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर प्रकरण आज लिया जाकर उन्हें प्रकरण के ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार, धार के आदेश दिनांक 20–7–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत पटवारी के साक्ष्य कराने संबंधी आवेदन पत्र को पटवारी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से निरस्त किया गया है, जबकि न्यायहित में पटवारी के साक्ष्य लिये जाकर उभय पक्ष को प्रतिपरीक्षण का अवसर देना चाहिए था । अतः तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 20–7–2015 निरस्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि हल्का पटवारी के साक्ष्य लिये जाकर उभय पक्ष को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाये । यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।	

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष